

एक दिन जरूर मिलेगी करप्शन की सजा

तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों और कई आईएएस अफसरों का जेल में होना कुछ तो साबित करता है

अवधेश कुमार

भारत के राजनीतिक इतिहास की यह पहली घटना है जब किसी राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र को एक साथ भ्रष्टाचार के आरोप में सजा मिली है। साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा मिलने की भी यह पहली घटना होगी। जाहिर है, ऐसी सजा के राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिणाम काफी महत्वपूर्ण होंगे। कांग्रेस ने उनकी सजा के बाद बिहार में नए धुवीकरण की बात की है। साफ है कि लालू के जेल जाने के साथ ही कांग्रेस ने उनके अंतिम रूप से परित्याग करने का मन बना लिया है। लालू के जेल जाने के बाद आरजेडी के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। उनके पुत्र या राबड़ी देवी को नेता मानकर बचे-खुचे नेता इकट्ठा रहेंगे, इसमें संदेह है। बहरहाल, इस घटना को केवल इसकी राजनीतिक परिणति तक सिमटाकर देखना इसके बड़े आयामों की अनदेखी करना होगा। लालू को सजा भारतीय राजनीति की विडंबनाओं का प्रतीक है।

मसीहा का पतन

1996 में चारा घोटाले को लेकर जब प्रदेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई तब लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में मीडिया में स्थापित थे। बिहार की राजनीति में तो उनका एकछत्र राज नजर आता ही था, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वे केंद्र में भी प्रभावी थे। स्युंक्त मोर्चा सरकार बनने के बाद केंद्र से उनके संबंध थोड़े खराब हुए। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जब चारा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और केंद्र सरकार जांच रोकने में सफल नहीं हुई तो वे विद्रोह कर गए और राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। लेकिन उनकी महिमा गिरने लगी। उन्हें जेल जाना पड़ा और सरकार की कमान उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दिया। उनके समर्थकों के बहुमत ने उनका साथ नहीं छोड़ा, पर विपक्ष को उनके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का ऐसा मुद्दा मिल गया जिसने उन्हें बिहार की सत्ता से बेदखल किया।

आज वही चारा घोटाला उनके राजनीतिक-सार्वजनिक जीवन के अंत का कारण बन गया है। एक ऐसा व्यक्ति, जो जयप्रकाश आंदोलन के दौरान राजनीतिक-प्रशासनिक स्वच्छता के लक्ष्य से राजनीति में आया, जो स्वयं को समाज के निचले




तबके के लिए मसीहा साबित करता रहा, जो स्वयं उसी निचले पायदान से आया था और जिसे भारत तथा इसके बाहर सामाजिक न्याय का पुरोध कहा गया, अंततः उन्हीं क्षरित मूल्यों का प्रतिनिधी बन गया। बिहार कृषि और पशुपालन पर निर्भर प्रदेश है। जाहिर है, यदि पशुओं की खरीद, उनके आवागमन, उनके चारे की खरीद में लगातार घोटाला हुआ तथा इसके लिए निर्धारित राशि से कई गुना ज्यादा खर्च दिखाया गया तो यह उन्हीं तबकों के हक की लुट थी जिनके लालू यादव नेता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर प्राप्त सत्ता का उपयोग अपने अधिकारियों और साथी नेताओं के साथ मिलकर उसकी गरीब जनता की अमानत को लूटा और अपनी संपन्नता बढ़ाई। उस समय तक भारत में ज्ञात भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कांड 64 करोड़ की बोफोर्स तोप दलाली का था, जिसमें समाज के शीर्ष लोग शामिल थे। लेकिन 950 करोड़ का चारा घोटाला समाज के निचले तबके की नेतृत्व मंडली द्वारा अंजाम दिया गया। सामाजिक न्याय की राजनीति की इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। जब प्राथमिकी दर्ज हुई तो सीबीआई अधिकारियों को धमकी से लेकर उनके साथ हुए हिंसक व्यवहार के दृश्य आज भी आंखों के सामने तैरते हैं। सीबीआई के सहायक निदेशक यूएन विश्वास को विशेष सुरक्षा में जांच करनी पड़ी। सीबीआई द्वारा सील किए गए कार्यालय तोड़कर दस्तावेज नष्ट किए गए। कई कार्यालयों में आग लगा दी गई। तब के सीबीआई निदेशक कहते हैं कि

भ्रष्टाचार

के खिलाफ

एक जुटता



प्रधानमंत्री इंदरकुमार गुजराल तक ने उनसे कहा था कि वे हमारी पार्टी के हैं, ध्यान रखना। यह इस बात का प्रमाण है कि अपने यहां रसूखदार लोगों को भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जांच करना कितना कठिन होता है।

एक दिन आएगी बारी

यही संपूर्ण राजनीति की दशा है। यूपीए-1 में 2004 से 2009 के बीच वे केंद्रीय रेल मंत्री थे। केंद्र के मातहत काम करने वाली सीबीआई उनके खिलाफ कैसे तीव्र कार्रवाई कर सकती थी। बहरहाल, इस फैसले के बाद निश्चय ही शीर्ष भ्रष्टाचारियों को चेतावनी मिली होगी।

जो भी नेता और प्रशासनिक अधिकारी जनता के हिस्से का धन लूटने-लूटवाने के अपराध में सलिल है, समझ लें कि लालू और जगन्नाथ के बाद उनकी भी बारी आ सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहले ही सजा काट रहे हैं। मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारी को सजा हुई है। ये फैसले इस बात का प्रमाण हैं कि अगर हमारी जांच एजेंसियां ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच करे तो कोई भी बड़ा भ्रष्टाचारी कानून के शिकंजे में फंस सकता है। वैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून और जांच की सीमाएं हैं। इसका अंत तो बेहतर लोगों के राजनीति में आने और शीर्ष पदों तक पहुंचने से ही संभव है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है